14357

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन	:	*2,34,24,185.00 रुपये।*
स्टाम्प पेपर	:	*16,39,800.00 रुपये।* CHALLAN NO. N. 160138 / 23-XII-2010

मैं कि अजब सिंह पुत्र श्री काले निवासीग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्ड्स कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

नि०अं० अजबसिंह

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

234 24185/. 10,000/-

बही .... संख्या ....

जिल्द [illegible] ...... योग 10020/- ...... शब्द लगभग 600

श्री .... अजब सिंह ....

पुत्र श्री [illegible] .... पेशा .... [illegible]

निवासी ग्राम [illegible] [illegible] [illegible]

ने कार्यालय उप निबन्धक दादरी जिला

गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 23.12.2010

समय मध्य 04 व 05 बजे प्रस्तुत किया।

[signature]

23-12-2010

नि० अजब सिंह

सत्यमेव जयते

इस लेखपत्र का संपादन करना इसमें लिखे

मालियत मु० 234 24185/.

पेश्गी से .... कुछ ....

अथवा मैं ..... पाना ..... उक्त श्री अजब सिंह, [illegible] -

[illegible] [illegible] [illegible] श्रीमती [illegible] [illegible]

[illegible] 33 [illegible] [illegible] -

[illegible] नई दिल्ली [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 33 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] नई दिल्ली [illegible] के

[illegible] [illegible]।

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 526 के खसरा नं0 11 रकबा 0.8930 हैक्टे0 का 1/2 भाग यानि 0.4465 है0 व खाता नं0 23 के खसरा नं0 85 रकबा 0.6730 है0 का सम्पूर्ण भाग व खाता नं0 280 के खसरा नं0 743 रकबा 0.9820 है0 का 1/4 भाग यानि 0.2455 व खाता नं0 269 के खसरा नं0 84 रकबा 0.8030 है0 का 1/3 भाग यानि 0.267666 है0 अर्थात कुल रकबा 1.632666 है0 का प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409 1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/– प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 2,34,24,185/- रूपये (दो करोड़ चौंतीस लाख चौबीस हजार एक सौ पिचासी रूपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(I) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

नि० अ० अनिल सिंह

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

पक्षकार निशान श्री .... सतीश
पुत्र श्री .... रामपाल .... खैरी
निवासी .... ग्राम .... [illegible]
श्री .... जगत
पुत्र श्री .... नन्दा .... खैरी
निवासी .... उक्त

सब रजिस्ट्रार
23.12.2010

नि० अ० अजब सिं

दादरी

साक्षी आदि [illegible] के चिन्ह
अंगूठा नियमानुसार [illegible] है

उप निबंधक
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

जगतसिंह

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद–ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगें।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 **526** के खसरा नं0 **11** रकबा **0.8930** हैक्टे0 का **1/2** भाग यानि **0.4465** है0 व खाता नं0 **23** के खसरा नं0 **85** रकबा **0.6730** है0 का सम्पूर्ण भाग व खाता नं0 **280** के खसरा नं0 **743** रकबा **0.9820** है0 का **1/4** भाग यानि **0.2455** व खाता नं0 **269** के खसरा नं0 **84** रकबा **0.8030** है0 का **1/3** भाग यानि **0.267666** है0 अर्थात कुल रकबा **1.632666** है0 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्व नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को कारो) तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signator

के, बरजामंदी,शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन **2,34,24,185/** रूपये (दो करोड़ चौंतीस लाख चौबीस हजार एक सौ पिचासी रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन **1,17,12,092.50/–**(एक करोड़ सत्रह लाख बारह हजार बानवें रूपये पचास पैसे मात्र) होते है के एवज में बहक फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बेय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना

नि॰ अँ॰ अचल जसिंह

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 1.632666 हैक्टेयर, खाता नं0 526 के खसरा नं0 11 व खाता नंबर 23 के खसरा नं0 65 व खाता नं0 280 के खसरा नं0 743 व खाता नं0 269 के खसरा नं0 84 स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:–

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि0 गाजियाबाद .शाखा गाजियाबाद .का चैक नंबर 263307. अंकन 2,23,68,168/–(दो करोड तेईस लाख अडसठ हजार एक सौ अडसठ रूपये मात्र) दिनांकित 23.12.10 तथा शेष धनराशी अंकन 10,56,017/-रू0 (दस लाख तेंतीस हजार सात सौ अठहत्तर रूपये मात्र)नगद

नि॰ अजब सिंह

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

दादरी
सत्यमेव जयते

फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

नि०अं० अजीत सिंह

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम

गवाह नं0 1 सतीश S/o रामलाल
ग्राम – कनौजा बादलपुर
जिला – गौ.बुद्धनगर

गवाह नं0 2 जगल S/o नेनवा
ग्राम – कनौजा बादलपुर
जिला – गौ.बुद्धनगर

तहरीरी दिनांक: 23–12–2010मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

आज दिनांक 23/12/10

…ति पुस्तक संख्या I जिल्द संख्या 3060

के पृष्ठ 153 / 166 पर क्रम संख्या 14357

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

दादरी

दादरी
सत्यमेव जयते

(Sh. 14357)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 786295

Stamp duty paid in cash certificate in favour of–M/S UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI
In pursuance of the order of the collector
N0…memo….dated.23.12.10 passed under
Section 10-A of the stamp act.It is certified that an
amount of Rs.16,39,800-00(Inwords Rs.Sixteen lacs thirty nine thousand- -eight hundred only)
has been paid in cash as stamp duty in respect
of this instrument in the State bank of India/
Treasury/Sub treasury …NOIDA
By Challan No…N160138 .. dated..23.12.10
A copy of which is annexed herwwith.

Dated 23.12.2010

Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

कार्यालय कोषागार
गौतम बुद्ध नगर
23 DEC 2010
वरिष्ठ कोषाधिकारी

नं. 61 रू. 10 में शामिल किया गया।
23 DEC 2010
रोकड़िया
★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

M/s Uppal Chaddha Hi-Tech Developers Pvt Ltd. Noida

आज दिनांक 23/12/10 को
बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3068
के पृष्ठ 153 से 186 पर क्रमांक 14357
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उपनिबन्धक
दादरी

ग्राम क्रमांक : 71020116093

जनपद : गौतमबुद्धनगर

ग्राम का नाम : कठैड़ा [illegible]

फसली वर्ष : 1409-1414

उद्धरण खतौनी

परगना : दादरी

भाग : 1

तहसील : दादरी

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय लगान/मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका नाम उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आदेश देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 1-क भूमि जो सक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो								
00526	नीरे	[illegible]	नि. ग्राम	91407क	11	0.8930		1411फ महकमा [illegible] दि. 20.10.03 11.03 संक्रमणीय भूमि [illegible] 0.893 [illegible] 48.15 [illegible] 1/2 भाग [illegible] अवशेष [illegible] दर्ज हो। 25.11.03 [illegible] 526 [illegible] दर्ज हो। [illegible] 18-1-2010

कुल गाटे : 1 कुल क्षे. : 0.8930 48.15

तहसीलदार

18/02/2010

?1026116093 ग्राम का नाम : कचेड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेवार निर्धारित मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका संदर्भ उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
[illegible]	काले सिंह	नि. ग्राम	1401	85	0.6730			
				कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 0.6730	33.00		

हस्ताक्षर

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कव्येश वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 29495 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता /पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेवार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संक्षेप उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : I–क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00269	प्रीतम सिंह	रतन सिंह 1/3	नि. ग्राम	पू.1402	84	0.8030			
	रिछपाल सिंह	रतन सिंह 1/3	नि. ग्राम	पू.1402	235	0.7850			
	बलजीत सिंह	रतीराम 1/3	नि. ग्राम	पू.1402	417	0.0630			
	राज कुमार	रतीराम	नि. ग्राम	पू.1402	1228क	0.0250			
				पू.1402	1246क	0.0510			

1412 फ. आदेशानुसार श्री मान N.T महोदय मि.नं. 275/4.9.04 को आदेश हुआ कि खा.स.269 के ख.न. 84 के रकबा 0.803 लगानी32.70पैसे के 1/3भाग बकदर अपना से विक्रेता बलजीत सिंह ,राजकुमार पुत्रगण रतिराम नि.ग्रा. के स्थान पर क्रेता अजब सिंह पुत्र स्व. काले सिंह का नाम बतौर बैनामा 430000रू. दर्ज हो.

ह.अ.ले.24-9-04

1412 फ. आदेशानुसार श्री मान N.T महोदय पि.न.274/4.9.04 को आदेश हुआ कि खा.स.269 के ख.न.235 के रकबा 0.785 लगानी32.55पैसे का 1/6 अपना सम्पूर्ण भाग से विक्रेता राजकुमारपुत्रगण रतिराम नि.ग्रा. के स्थान पर . क्रेता बलजीत सिंह पुत्र रतीरामनि ग्रा. का नाम बतौर बैनामा 210000 रू. दर्ज हो

ह.अ.ले.24-9-04

आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महोदय मि.न.94/13-1-(को आदेश हुआ कि खा.स.269के ख.न.235/0.785हे. का 1/3भाग0.2616हे.से विक्रेता बलजीत सिंह पुत्र रतीराम नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता मै. उप्पल चड्ढा हाई टेकडेवलपर्स प्रा.लि. द्वारा राकेश उप्पल पुत्र बृजमोहन उप्पल नि.ए-334शिवालिक नई दिल्ली का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.स.र.का

16093

उद्धरण खतौनी

जनपद : गौतमबुद्धनगर

ग्राम का नाम : कनेहा चारसाबाद

फसली वर्ष : 1409-1414 32024

परगना : दादरी

भाग : 1

तहसील : दादरी

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : I-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो।							
00280	परताप सिंह नवाब सिंह आजाद सिंह राजकरन	परमाल सिंह परमाल सिंह परमाल सिंह हरपाल	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	पू.1402	743	0.9820		1410फ. आदेशानुसार श्रीमान न्यायिक तहसीलदार मि.न.192/20.2.03 को आदेश हुआकि खाता सं. 280 के खसरा सं.743/0.982 मा.44.70 के अपने बकदर भाग से विक्रेता परताप सिंह पुत्र परमाल सिंह ग्रामवासी का नाम खारिज करके क्रेता अकबर सिंह पुत्र काले सिंह ग्रामवासी का नाम बजरिये बैनामा अंकन 345000 दर्ज हो। ह.ले.25.2.03 आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक मि.न. 511/7-7-2006 को आदेश हुआ कि खा.स 280 के ख.न. 743/0.9820 हे. का 1/2भाग 0.4910हे. से विक्रेता नवाब सिंह व आजाद सिंह पुत्रगण स्व. परमाल नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता मै. एम.ए.पी. बिल्डकान प्रा.लि.रजि.कार्या 38-गोविन्दखण्ड प्रियंक विहार दिल्ली द्वारा रोहित शर्मा पुत्र जे.आर.शर्मा नि. 60, शिप्रा सनसिटी गा.बाद का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.स.र.का. 19-10-2006 टिप्पणी-भारत सरकार की अधिसूचनासं.971 दि.2-4-07 के अनुसार ख.न. 743/0.1440है.मे भूमिगत पाइप लाईन डालनेहेतु उपयोग का अधिकार इंडियन आयल को.लि.में निहित कर दिया गया है। ह.र.का.8-7-08/फो84-9-2008

कुल गाटे : 1 कुल क्षे : 0.9820 47.70

13/04/2010

२२१

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पी० एन० बी०

रबूपुरा

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 626,280 खसरा नम्बर ______ रकबा ______ स्थित ग्राम ______ परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर ______ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै० उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

______

______

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

उ० प्र० स० ग्रा० विकास बैंक

दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 526, 280 खसरा नम्बर 1185 रकबा ______ स्थित ग्राम ______ परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर ______। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

[signature]

[stamp: ग्राम विकास बैंक लि0, गौतम बुद्ध नगर; 24.1.11]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　AL 444113

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान गाजियाबाद में श्री अजब सिंह
.... पुत्र/पति करे
निवासी ग्राम.. परगना...................... तहसील ....
व जिला ....

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र.........................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम.. परगना व तहसील.................... जिला.............................. में स्थित भूमि खाता सं0............................ खसरा सं........... .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0................ पृष्ठ.................... पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0................/– द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक........................ द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन........................... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि.............................. दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु...................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक........................ बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष | द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.